Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 34-2025/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, FEBRUARY 17, 2025 (MAGHA 28, 1946 SAKA)

हरियाणा सरकार

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग

अधिसूचना

दिनांक 17 फरवरी, 2025

संख्या 02/01/2025-1IB-II.– हरियाणा सरकार के बजट 2023–24 की घोषणाओं के अनुसरण में, सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) के लिए निर्बाध उत्पादन और निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए और राज्य के सभी पंजीकृत MSEs के बीच औद्योगिक निर्बाध बिजली आपूर्ति (यूपीएस) को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए, हरियाणा के राज्यपाल ने "औद्योगिक यूपीएस सिस्टम अधिग्रहण योजना" को निम्नलिखित प्रावधानों के साथ अधिसूचित करने की कृपा की है।

1. उद्देश्यः

उत्पादन समय के नुकसान को कम करने, गुणवत्ता में असंगति और अचानक बिजली कटौती के कारण दक्षता में कमी को कम करने के लिए एवं सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण 2023 में घोषणा की कि राज्य के सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) को औद्योगिक यूपीएस सिस्टम की खरीद पर किए गए पूंजीगत व्यय पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह इन सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) को निर्बाध उत्पादन और निर्बाध सेवा प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा, साथ ही बिजली की खपत को कम करेगा और बदले में उनकी उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ावा देगा।

2. सहायता की मात्राः

'सी' और 'डी' श्रेणी के ब्लॉकों में स्थित और 100 KVA तक की जुड़ी हुई लोड वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा किए गए औद्योगिक यूपीएस सिस्टम की लागत की प्रतिपूर्ति के रूप में अधिकतम 20 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, निम्नलिखित विवरणों के अनुसारः

उद्यम श्रेणी	व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी	अधिकतम सहायता
सूक्ष्म	औद्योगिक यूपीएस प्रणाली की लागत का 60%	20 लाख रूपये
लघु	औद्योगिक यूपीएस प्रणाली की लागत का 50%	

विभिन्न औद्योगिक निर्बाध विद्युत आपूर्ति (यूपीएस) प्रणालियों के लिए लागत सीमा नीचे दी गई हैः

(i) पारंपरिक लेड एसिड (वीआरएलए) आधारित औद्योगिक यूपीएस सिस्टम के लिए 12,000 रुपये प्रति केवीए (KVA)।

(ii) लिथियम बैटरी आधारित औद्योगिक यूपीएस सिस्टम के लिए 36,000 रुपये प्रति केवीए (KVA)।

टिप्पणीः योजना के तहत वित्तीय सहायता 01 घंटे के अधिकतम बैकअप समय के साथ औद्योगिक यूपीएस की लागत के आधार पर दी जाएगी। यदि प्राप्त औद्योगिक यूपीएस का बैकअप समय 01 घंटे से अधिक हो जाता है, तो सहायता 01 घंटे की बैकअप क्षमता वाले यूपीएस की आनुपातिक लागत के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

3. परिभाषाएँः

(i) औद्योगिक यूपीएस (निर्बाध बिजली आपूर्ति) सिस्टमः औद्योगिक यूपीएस सिस्टम एक उपकरण है जो बिजली कटौती या मुख्य बिजली आपूर्ति में उतार–चढ़ाव की स्थिति में बैकअप बिजली प्रदान करता है और इलेक्ट्रॉनिक/इलेक्ट्रिकल उपकरणों की सुरक्षा करता है। यह मुख्य बिजली आपूर्ति बहाल होने तक महत्वपूर्ण संचालन या उपकरण क्षति की रुकावट को रोकने के लिए अस्थायी बिजली प्रदान करता है। औद्योगिक यूपीएस सिस्टम में आमतौर पर बैटरी/बैटरियों का एक सेट, एक चार्जिंग तंत्र यानी इनवर्टर होता है।

(ii) लघु उद्यमः प्लांट और मशीनरी या उपकरण में निवेश 10 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और टर्नओवर 50 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है या समय–समय पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत भारत सरकार द्वारा संशोधित किया गया है।

(iii) सूक्ष्म उद्यमः प्लांट और मशीनरी या उपकरण में निवेश 1 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है या समय–समय पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत भारत सरकार द्वारा संशोधित किया गया है।

4. प्रारंभ और प्रयोज्यताः

योजना अधिसूचना की तिथि से प्रारंभ होगी और हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति, 2020 (HEEP–2020) की संचालित अवधि के लिए लागू रहेगी।

5. पात्रताः

हरियाणा राज्य में संचालित सभी मौजूदा सूक्ष्म और लघु औद्योगिक इकाइयों को औद्योगिक यूपीएस सिस्टम की खरीद पर किए गए पूंजीगत व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। पात्र औद्योगिक इकाइयां निम्नलिखित शर्तों का भी पालन करेंगीः

(i) इकाई वाणिज्यिक उत्पादन में होनी चाहिए अर्थात योजना के तहत लाभ केवल वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद ही उठाया जा सकता है।

(ii) संवितरण के समय इकाई नियमित वाणिज्यिक उत्पादन में होनी चाहिए और किसी बंद इकाई को सब्सिडी जारी नहीं की जाएगी।

(iii) इकाई ने सक्षम प्राधिकरण से NOC/CLU प्राप्त किया हो, यदि लागू हो।

(iv) इकाई का निर्माण मद HEEP–2020 या राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित प्रतिबंधात्मक सूची में नहीं होना चाहिए।

(v) इकाई के पास उत्पादन गतिविधियों के लिए उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र (URC) और हरियाणा उद्यम ज्ञापन (HUM) होना चाहिए।

(vi) स्थापित होने वाले औद्योगिक यूपीएस की क्षमता इकाई के कुल जुड़ी हुई लोड से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि अधिग्रहीत/स्थापित औद्योगिक यूपीएस की क्षमता इकाई की कुल जुड़ी हुई लोड से अधिक होती है तो सब्सिडी (चाहे अनुपातिक हो या पूर्ण राशि) मान्य नहीं होगी। औद्योगिक यूपीएस सिस्टम जिसके लिए प्रतिपूर्ति का दावा किया जा रहा है, संचालन में होना चाहिए।

(vii) स्थापित होने वाला औद्योगिक यूपीएस सिस्टम नया होना चाहिए और अधिकृत डीलर/निर्माता (OEM) से खरीदा जाना चाहिए। प्रयुक्त औद्योगिक यूपीएस की खरीद पर कोई सब्सिडी मान्य नहीं होगी।

(viii) खरीदे जाने वाले औद्योगिक यूपीएस की न्यूनतम वारंटी 02 वर्ष होनी चाहिए ।

(ix) अधिग्रहीत की जाने वाली औद्योगिक यूपीएस की बैटरी में नीचे दिए गए अनुसार न्यूनतम गारंटीकृत शेल्फ जीवन होना चाहिएः

- वाल्व रेगुलेटेड लीड एसिड बैटरी–02 वर्ष।
- लिथियम–आयन बैटरी–05 वर्ष।

(x) योजना के तहत कई औद्योगिक यूपीएस सिस्टम/उपकरणों की अधिग्रहण की अनुमति नहीं होगी। ऐसे मामलों में केवल एक औद्योगिक यूपीएस सिस्टम/उपकरण पात्र होगा।

(xi) दावा आवेदन पर कार्यवाही करते समय सहायक लागत जैसे परिवहन, स्थापना/ सिविल कार्य, जीएसटी आदि को बाहर रखा जाएगा।

(xii) इकाई योजना की संचालित अवधि के दौरान केवल एक बार योजना का लाभ उठा सकती है।

6. प्रक्रियाः

(i) सूचीबद्ध दस्तावेजों के साथ सहायता अनुदान के लिए निर्धारित फॉर्म (अनुलग्नक–I) में एक ऑनलाइन आवेदन अधिसूचना की तारीख के बाद औद्योगिक यूपीएस सिस्टम के खरीद चालान की तारीख से 03 महीने के भीतर विभाग के वेब पोर्टल पर जमा किया जाएगा। योजना का जो भी बाद में हो।

(ii) आवेदन पर संबंधित संयुक्त निदेशक/उप–निदेशक, जिला एमएसएमई केंद्र द्वारा कार्रवाई और जांच की जाएगी। वह दस्तावेजों की जांच और सत्यापन के लिए जिम्मेदार होगा और इकाई का भौतिक निरीक्षण करने के बाद दावे के अनुमोदन/अस्वीकृति के लिए आवेदन की स्पष्ट रूप से सिफारिश करेगा। कमियाँ, यदि कोई हों, तो आवेदक को केवल 07 दिनों की अवधि के भीतर वेब–पोर्टल के माध्यम से सूचित किया जाएगा और आवेदक को बताई गई कमियों को सुधारने के लिए 10 दिनों की समयावधि दी जाएगी।

(iii) यदि आवेदक द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर कमियों को दूर नहीं किया जाता है, तो दावा सक्षम प्राधिकारी द्वारा दायर किया जाएगा।

7. समय सीमाः

यदि योजना की अधिसूचना के उपरान्त आवेदक औद्योगिक यूपीएस के खरीद चालान की तारीख से 03 महीने के भीतर सभी प्रकार से पूर्ण अपना दावा प्रस्तुत नहीं करता है, तो औद्योगिक यूपीएस प्रणाली के अधिग्रहण में वित्तीय सहायता के लिए उसकी पात्रता समाप्त हो जाएगी।

8. मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारीः

विभाग प्रमुख (एचओडी) यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निदेशालय के निदेशक/महानिदेशक मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे।।

9. व्याख्या/स्पष्टीकरणः

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक सचिव इस योजना के प्रावधानों की व्याख्या/स्पष्टीकरण करने के लिए सक्षम होंगे।

नोटः हिंदी और अंग्रेजी संस्करणों में भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण सर्वोच्च होगा।

10. अपीलः

सक्षम प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक सचिव के पास आदेश लागू होने के 30 दिन के भीतर की जाएगी ।

अपील विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर की जाएगी तथा किसी अन्य माध्यम से की गई अपील पर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। अपील में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, हरियाणा के प्रशासनिक सचिव द्वारा पारित आदेश अंतिम होंगे।

11. आवेदन और अपील प्रस्तुत करने में देरी को माफ करने की शक्तिः

(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निदेशालय के महानिदेशक/निदेशक, निर्धारित समय सीमा के बाद 3 महीने की अवधि तक की देरी को माफ करने के लिए सक्षम होंगे।

(ख) प्रशासनिक सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य, हरियाणा निर्धारित समय सीमा के बाद 6 महीने की अवधि तक की देरी को माफ करने के लिए सक्षम होंगे।

बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्य/दस्तावेजों के आधार पर आवेदन देर से जमा करने के कारणों से संतुष्ट हो।

12. दंडात्मक कार्रवाईः

यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि आवेदक ने गलत तथ्यों के आधार पर सहायता का दावा किया है, तो आवेदक को 12% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर के साथ सहायता वापस करनी होगी और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। आवेदक को राज्य सरकार से किसी भी प्रोत्साहन/सहायता के अनुदान से भी वंचित कर दिया जाएगा। यदि आवेदक ब्याज सहित सब्सिडी राशि वापस करने में विफल रहता है, तो राशि को भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा। तथ्यों और आंकड़ों में बेमेल के परिणामस्वरूप आवेदक को सार्वजनिक खरीद से भी वंचित कर दिया जाएगा ।

13. सेवा वितरण समय सीमाः

क्रमांक	कार्य	समय सीमा (कार्य दिवस)
(i)	अनुमोदन पत्र	45 दिन
(ii)	स्वीकृति पत्र	07 दिन
(iii)	अदायगी	14 दिन

चण्डीगढ़:
दिनांक 11 फरवरी, 2025.

डॉ० डी० सुरेश,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग।

अनुलग्नक–I

औद्योगिक यूपीएस सिस्टम अधिग्रहण योजना का दावा करने के लिए आवेदन प्रारूप

क्रमांक	विवरण		विवरण	
1.	आवेदक का नाम (इकाई का अधिकृत व्यक्ति)			
2.	यूनिट का नाम और पता टेलीफोन नंबर और ई–मेल के साथ			
3.	ज़िला			
4.	पंजीकृत कार्यालय पता			
5.	इकाई की श्रेणी (सूक्ष्म/लघु)			
6.	इकाई का ब्लॉक			
7.	उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र (यूआरसी) क्रमांक दिनांक सहित			
8.	हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम (एचयूएम) क्रमांक दिनांक सहित			
9.	उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि			
10.	निर्माण की वस्तु.			
11	इकाई का गठन (स्वामित्व/साझेदारी/निजी लिमिटेड/सार्वजनिक लिमिटेड/एलएलपी (सीमित देयता भागीदारी)/सहकारी समिति)			
12	यूनिट का कुल कनेक्टेड लोड (केवीए में)			
13	अधिग्रहीत/स्थापित औद्योगिक यूपीएस का विवरणः		इंवर्टर	बैटरी
	क्रमांक			
	बनाना			
	क्षमता			
	खरीद की लागत			
	खरीद की तारीख			
	अधिकृत का नाम डीलर/निर्माता (ओईएम)			
14	दावा की गई सब्सिडी की राशि @ ए) सूक्ष्म इकाइयों के लिए 60% (20 लाख रुपये तक)। ख) लघु इकाइयों के लिए 50% (20 लाख रुपये तक)।			
15	क्या औद्योगिक इकाई ने राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त की है। इस योजना की परिचालन अवधि के दौरान औद्योगिक यूपीएस के अधिग्रहण के लिए (हां/ नहीं)			
16		बैंक के खाते का विवरण		
	(i)	नाम		
	(ii)	खाता संख्या		
	(iii)	प्रकार (बचत/चालू)		
	(iv)	बैंक का नाम		
	(v)	आईएफएससी		

17. आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले नवीनतम दस्तावेजों की स्व–सत्यापित प्रतियांः

i. उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र (यूआरसी) और हरियाणा उद्यम ज्ञापन (एचयूएम) की प्रति।

ii. द्वितीय. 50/– (न्यूनतम) के गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर आवेदक द्वारा नोटरी पब्लिक या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष विधिवत शपथ ली गई घोषणा (अनुलग्नक II)।

iii. फॉर्म 'ए' और 'सी' के साथ निगमन/साझेदारी विलेख/साझेदारी पंजीकरण का प्रमाण पत्र/सहकारी सोसायटी पंजीकरण आदि।

iv. बोर्ड संकल्प/पावर ऑफ अटॉर्नी पर अधिकांश निदेशकों/साझेदारों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

v. किए गए व्यय के विवरण का चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाण पत्र (मूल रूप में) (अनुलग्नक–III)।

vi. सक्षम प्राधिकारी से भूमि उपयोग में परिवर्तन (सीएलयू)/एनओसी (एनओसी के लिए अनुलग्नक–IV

vii. यदि लागू हो। सातवीं पिछले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक जीएसटी रिटर्न और ऑडिटेड बैलेंस शीट की प्रतिलिपि, जैसा लागू हो।

viii. संयंत्र एवं मशीनरी की सूची (अनुलग्नक–V)।

ix. ISO–5001 प्रमाणपत्र की प्रति।

x टैक्स चालान और उसके भुगतान का प्रमाण यानी बैंक स्टेटमेंट या ई–मेल या संबंधित बैंक का पत्र जिसमें दावा किए गए विस्तार के लिए संबंधित विक्रेता को भुगतान जारी करने का उल्लेख है।

xi. भूमि प्रमाण अर्थात आवंटन पत्र/कब्जा प्रमाणपत्र/बिक्री विलेख/हस्तांतरण विलेख/संवहन विलेख। यदि इकाई पट्टे/किराए पर चल रही है तो न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत पट्टा विलेख/पंजीकृत किराया विलेख।

xii. एमएसएमई निदेशालय द्वारा समय–समय पर अपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांकितः (मुहर/मुहर सहित)

अनुलग्नक II

वचनपत्र/घोषणा (50/– रुपये (न्यूनतम) के गैर–न्यायिक स्टांप पेपर पर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्ष विधिवत रूप से शपथ ली जानी चाहिए, जिसे नोटरी स्टांप के साथ नोटरी सील और नोटरी पंजीकरण संख्या के साथ चिपकाया जाए):

मैं ———————————————— यहां गंभीरतापूर्वक कहता हूं कि मैं ———————————— में स्थित मैसर्स ———————— का मालिक/साझेदार/निदेशक/———————————— हूं, जो ———————————— के विनिर्माण में लगा हुआ है और मुझे एमएसएमई, हरियाणा निदेशालय के साथ औद्योगिक यूपीएस योजना के लिए तत्काल आवेदन दाखिल करने के लिए अधिकृत किया गया है।

मैंने "औद्योगिक यूपीएस सिस्टम अधिग्रहण योजना" नामक योजना में उल्लिखित सभी शर्तों/मानदंडों/खंडों का अध्ययन कर लिया है और उनका विधिवत अनुपालन किया गया है।

प्रधान महालेखाकार, हरियाणा की लेखापरीक्षा टीम द्वारा बताई गई किसी भी प्रकार की चूक या विसंगतियों के कारण जारी की गई अतिरिक्त सब्सिडी/सहायता को वापस करने के लिए इकाई उत्तरदायी होगी।

मैं इसके द्वारा यह भी पुष्टि करता हूं कि आवेदन में दिए गए विवरण सही हैं। यदि आवेदन/दस्तावेजों में दिया गया कोई भी विवरण/जानकारी बाद में गलत या ग़लत या भ्रामक या पात्रता मानदंड/शर्तों का उल्लंघन पाया जाता है, तो मैं INR ————————— (रुपये ————————————————) की सहायता की पूरी राशि वापस करने का वचन देता हूं। यदि इस आवेदन में शामिल तथ्य सत्यापन/जांच के समय या अन्यथा किसी भी स्तर पर गलत साबित होते हैं, तो कानूनी कार्रवाई का सामना करने के अलावा, मुझे प्रति वर्ष 12% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर अनुदान दिया जाता है।

दिनांक:

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर
(मुहर/मुहर सहित)

अनुलग्नक – III

चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रमाण–पत्र (सीए लेटर हेड पर)
उनके लिए जो इससे संबद्ध हो सकते हैं

मैसर्स के दस्तावेज़ और रिकॉर्ड उनके पंजीकृत कार्यालय में ..... और फैक्ट्री में स्थित हैं ...., जो .... के निर्माण में लगा हुआ है, के लिए किए गए व्यय के संबंध में जाँच और सत्यापन किया गया है औद्योगिक यूपीएस प्रणाली का अधिग्रहण. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त औद्योगिक इकाई ने कुल ..... (रुपये.....) का व्यय किया है। .....) उक्त योजना के अनुसार, अर्थात् "औद्योगिक यूपीएस सिस्टम अधिग्रहण योजना" नीचे दिए गए भुगतान के विवरण के अनुसार ..... को अधिसूचित की गई है।

व्यय और भुगतान की गई राशि का विवरण (रुपये में) निम्नानुसार प्रमाणित किया गया है:

उपकरण का नाम औद्योगिक यूपीएस अधिकृत डीलर का नाम खरीद लागत खरीद की तारीख निर्माण क्षमत
और

उपरोक्त फर्म के खातों की पुस्तकों से सत्यापित किया गया है कि कंपनी के प्लांट और मशीनरी (मूल खरीद मूल्य) में आज की तारीख में कुल निवेश ..... रुपये है। ..... (रुपये.....) और पिछले का कुल कारोबार निम्नलिखित विवरण के अनुसार वित्तीय वर्ष ..... (रुपये .....) है:

(प) घरेलू कारोबार = रु..... (रुपए .....),
(पप) निर्यात टर्नओवर = रु.....(रुपये.....)

चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम और हस्ताक्षर
टिकटों और सीए सदस्यता संख्या के साथ
दिनांक: ..... UDIN संख्या .....

अनुलग्नक – IV

सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाने वाला अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एनओसी)
उनके लिए जो इससे संबद्ध हो सकते हैं

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स ..... खसरा नंबर/इकाई के पते पर एक विनिर्माण इकाई चला रहा है ....क्षेत्रफल ..... वर्ग मी./ गज और उक्त स्थान .....(जिला नाम) की मूल/विस्तारित नगरपालिका सीमा में आता है। उक्त इकाई पर भवन कर आदि के संबंध में कोई बकाया नहीं है।

नगर निगम/परिषद/समिति ..... (प्राधिकरण का नाम) को उक्त स्थान पर विनिर्माण इकाई चलाने में कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांकः

(जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

अनुलग्नक – V

इकाई के संयंत्र और मशीनरी/उपकरण का विवरण अर्थात् मैसर्स ————————————

क्रमांक	संयंत्र और मशीनरी/उपकरण का नाम	सप्लायर का नाम	बिल संख्या और दिनांक	मूल खरीद मूल्य (INR)
			कुल	

दिनांकः

आवेदक के हस्ताक्षर
(मुहर/मुहर सहित)

HARYANA GOVERNMENT

INDUSTRIES & COMMERCE DEPARTMENT

Notification

The 17th February, 2025

No. 02/01/2025-1IB-II.— In pursuance of the Government of Haryana's Budget 2023-24 announcements, to ensure uninterrupted production & seamless services for Micro and Small enterprises (MSEs) and to promote adoption of industrial Uninterruptible Power Supply (UPS) among all registered MSEs of the State, the Government of Haryana is pleased to notify the Scheme of "Industrial UPS System Acquisition Scheme" with following provisions:

1. Objective:

In order to provide support to MSEs for minimizing the loss of production time, inconsistency in quality and reduction in efficiency due to sudden power outages, Hon'ble Chief Minister of Haryana announced in his Budget Speech 2023-2024 that MSEs of the State shall be provided financial assistance on the capital expenditure incurred on purchase of Industrial Uninterruptible Power Supply (UPS) System. This will enable these MSES to achieve uninterrupted production and seamless service while also minimizing electricity consumption and in-turn boost their productivity as well as quality.

2. Quantum of Assistance:

A financial assistance for maximum amount up to INR 20 lakhs will be provided by way of reimbursement of cost of Industrial Uninterruptible Power Supply (UPS) System incurred by Micro and Small Enterprises (MSEs) having connected load of upto 100 kVA, as per following details:

Enterprise Category	**Expenses to be Reimbursed**	**Maximum Assistance**
Micro	60% of cost of Industrial UPS system	INR 20 Lakh
Small	50% of cost of Industrial UPS system	

The cost capping for different Industrial Uninterruptible Power Supply (UPS) systems is given as below:

(i) INR 12,000 per KVA for conventional lead acid (VRLA) based Industrial UPS System.

(ii) INR 36,000 per KVA for Lithium battery based Industrial UPS System.

Note: *The financial assistance under the scheme will be granted based on the cost of Industrial UPS with a maximum backup time of 01 hour. If the backup time of Industrial UPS acquired extends beyond 01 hour, the assistance will be determined based on the proportionate cost of a UPS having 01 hour backup capacity.*

3. Definitions:

(i) Industrial UPS (Uninterruptible Power Supply) System:

For the purposes of the Scheme, Industrial UPS System is a device that provides backup power and protects the electronic/electrical devices in case of power outage or fluctuation in the main power supply. It offers temporary power to prevent disruption of critical operations or equipment damages, till the main power supply is restored. Industrial UPS System typically consists of a battery/set of batteries, a charging mechanism i.e. inverter.

(ii) Small Enterprise:

Investment in Plant and Machinery or Equipment does not exceed INR 10 crores and turnover does not exceed INR 50 crores or as amended by Govt. of India under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 from time to time.

(iii) Micro Enterprise:

Investment in Plant and Machinery or Equipment does not exceed INR 1 crores and turnover does not exceed INR 5 crores or as amended by Govt. of India under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 from time to time.

4. Commencement and Applicability:

The scheme shall commence from date of notification of the said scheme and the same shall remain in operation for the operative period of Haryana Enterprises & Employment Policy, 2020 (HEEP-2020) or the period as the State Govt. may deem fit.

5. Eligibility:

All Micro and Small Industrial Units operating in the State of Haryana and having connected load of upto 100 kVA, shall be provided financial support by way of reimbursement of capital expenditure incurred in purchase of Industrial UPS System having load of upto 100 kVA. The eligible industrial units shall also comply with the following conditions:

(i) The unit should be in commercial production i.e. the benefit under the scheme may be availed only after commencement of commercial production.

(ii) The unit should be in regular commercial production at the time of disbursement and the subsidy shall not be released to a closed unit.

(iii) The unit should have obtained NOC/CLU from Competent Authority, if applicable.

(iv) The item of manufacture of the unit should not have been placed in the restrictive list of HEEP-2020 or as notified by the State Government from time to time.

(v) The unit should have Udyam Registration Certificate (URC) and Haryana Udhyam Memorandum (HUM) for manufacturing activities.

(vi) The capacity of the industrial UPS to be acquired/ installed should not exceed the total connected load of the unit. No subsidy shall be admissible (whether proportionate or full amount), in case capacity of industrial UPS acquired/installed exceeds the total connected load of the unit. The Industrial UPS System for which reimbursement is being claimed, should be operational.

(vii) The Industrial UPS System to be acquired/ installed should be new and should be purchased from authorized dealer/manufacturer (OEM). No subsidy shall be admissible on purchase of second-hand Industrial UPS. The manufacturer of the acquired Industrial UPS System should comply with BIS/EN/IEC/IEEE Safety Standards, as applicable.

(viii) The Industrial UPS to be acquired should have a minimum warranty period of 02 years.

(ix) The battery of the Industrial UPS to be acquired should have a minimum guaranteed shelf life as given below:

- Valve Regulated Lead Acid Battery-02 years.
- Lithium-ion battery-05 years.

(x) The acquisition of multiple industrial UPS Systems will not be entertained under the scheme. The unit shall be entitled for reimbursement against one Industrial UPS System only.

(xi) The auxiliary costs viz Transportation, Installation/Civil Works, GST etc. shall be excluded while processing the claim application.

(xii) The unit can avail the benefits of the scheme only once during the operative period of the Scheme.

6. Procedure:

(i) An online application in prescribed Form (Annexure-1) along with listed documents shall be submitted on the web portal of the department within 03 months of date of purchase invoice of Industrial UPS System after the date of notification of the scheme.

(ii) The application shall be processed and examined by the concerned Joint Director/Deputy Director, District MSME Centre. He/She shall be responsible for scrutiny & verification of the documents and shall clearly recommend the application for approval/rejection of the claim after conducting physical inspection of the unit. The deficiencies, if any, would be communicated to the applicant only through web-portal within a period of 07 days and the applicant would be given a time-period of 10 days to rectify the deficiencies so pointed-out.

(iii) In case the deficiencies are not removed within the said prescribed period by the applicant, the claim shall be filed by the Competent Authority.

7. Time Limit:

The applicant shall forfeit its entitlement for the financial assistance in acquisition of industrial UPS system, if it does not submit its claim, complete in all respects within 03 months of the date of purchase invoice of Industrial UPS System after the notification of the scheme.

8. Competent Authority for Sanction:

The Head of Department (HoD) i.e. Director/Director General of the Directorate of Micro, Small and Medium Enterprises shall be competent authority for sanction.

9. Interpretation/Clarification:

The Administrative Secretary of Industries & Commerce Department shall be competent to make interpretation/clarification of provisions of this scheme.

Note: In case of any discrepancy between the Hindi and English versions, the English version shall prevail.

10. Appeal:

The appeal against orders passed by the Competent Authority shall lie with the Administrative Secretary of Industries & Commerce Department, Haryana within a period of 30 days from the date of issuance of impugned orders, if any.

The appeal shall be made on the online portal of the Department and no appeal made through any other modes shall be entertained by the appellate authority. The orders passed by the Administrative Secretary of Industries & Commerce Department, Haryana in the appeal shall be final.

11. Power to condone delay in submission of application & appeal:

(a) The Director/Director General of the Directorate of Micro, Small and Medium Enterprises, shall be competent to condone the delay up to a period of 3 months after the prescribed time limit.

(b) The Administrative Secretary, Industries & Commerce, Haryana shall be competent to condone the delay up to a period of 6 months after the prescribed time limit.

Provided that the competent authority is satisfied with the reasons of late submission of the application on the basis of the pleadings presented by the appellant.

12. Penal Action:

In case, it is found at any stage that the applicant has claimed the assistance on the basis of wrong facts, the applicant shall refund assistance with compound rate of interest 12% per annum and face legal action. The applicant shall also be debarred from grant of any incentives/assistance from the State Government. If the applicant fails to refund the subsidy amount with interest, then the amount shall be recovered as arrear of land revenue. The applicant shall also be debarred from public procurement as a result of mismatch in facts and figures.

13. Service Delivery Timelines:

Sr. No.	Tasks	Time Limit (Working Days)
(i)	Letter of Approval	40 Days
(ii)	Letter of Sanction	07 Days
(iii)	Disbursement	14 Days

DR. D. SURESH,
Principal Secretary to Government Haryana,
Industries and Commerce Department.

Chandigarh:
The 11th February, 2025.

Annexure-I

Application format for claiming Industrial UPS System Acquisition Scheme

Sr. No.	Particulars			Details	
1.	Name of the applicant (Authorized person of the unit)				
2.	Name & Address of the unit with Telephone No. & E-mail				
3.	District				
4.	Registered office address				
5.	Category of the Unit (Micro/Small)				
6.	Block of the Unit				
7.	Udyam Registration Certificate (URC) No. with date				
8.	Haryana Udyam Memorandum (HUM) No. with date				
9.	Date of Commencement of Production				
10.	Item of manufacturer				
11.	Constitution of the Unit [Proprietary/Partnership/Private Limited/Public Limited/LLP (Limited Liability Partnership) /Co-operative Society]				
12.	Total Connected load of the Unit (in KVA)				
13.	Details of industrial UPS acquired /installed:			Inverter	Battery
	Sr. No.				
	Make				
	Capacity (in KVA)				
	Purchase Cost				
	Purchase Date				
	Name of Authorized Dealer/Manufacture (OEM)				
14	Amount of subsidy claimed @ a) 60% (upto INR 20 Lakhs) for Micro Units b) 50% (upto INR 20 Lakhs) for Small Units.				
15	Whether the industrial unit has availed financial assistance from State Govt. for acquisition of Industrial UPS during the operative period of this Scheme (Yes/No).				
16		Bank Account Details			
	(i)	Name			
	(ii)	Account Number			
	(iii)	Type (Savings/Current)			
	(iv)	Bank Name			
	(v)	IFSC			

17. Self-attested copies of the latest documents to be attached with the application:

i. Copy of Udyam Registration Certificate (URC) and Haryana Udhyam Memorandum (HUM) for manufacturing activities.

ii. Declaration by the applicant (Annexure II) on Non-Judicial Stamp Paper of Rs.50/- (Min.) duly sworn before a Notary Public or First-Class Magistrate.

iii. Board Resolution/Power of Attorney to be signed by the majority of the Directors/Partners duly attested by authorized signatory and should contain details of the Directors/Partners alongwith their DIN (as applicable).

iv. Certificate of Incorporation/ Partnership deed/Partnership Registration with Form 'A' & 'C'/ Co-operative Society Registration etc.

v. Chartered Accountant's Certificate of details of Expenditure incurred (in original) (Annexure-III).

vi. Change of Land Use (CLU)/ NOC (Annexure-IV for NOC) from competent authority, if applicable.

vii. Copy of Annual GST return and Audited Balance Sheet for last financial year, as applicable.

viii. Copy of BIS/EN/IEC/IEEE Certification of the concerned Manufacturer/OEM.

ix. Tax invoice and payment proof thereof i.e. Bank Statement or E-mail or letter of the concerned bank mentioning the details viz. Name/Account No. etc. of the concerned vendor. The invoice should be supported with minimum warranty period of Industrial UPS and minimum guarantee period of the shelf-life of battery as well as maximum backup time of the said UPS system.

x. List of Plant & Machinery (Annexure-V).

xi. Land Proof i.e. Allotment Letter/Occupation Certificate/Sale Deed/ Transfer Deed/Conveyance Deed in favor of the Applicant Unit/Proprietor. The Registered Lease Deed/Registered Rent Deed should be for a minimum period of 05 years in favor of the Applicant Unit/Proprietor, in case the unit is running on lease/rent.

xii. Any other document as required by the Directorate of MSME from time to time.

Dated:

Signature of the applicant
(with seal/stamp)

Annexure II

Undertaking/Declaration (to be submitted on non-judicial stamp paper of Rs.50/-(Min.) duly sworn before a Notary Public or First-Class Magistrate):

I _____ do hereby solemnly state that I am proprietor/partner /Director _____ of M/s _____ located at _____ which is engaged in the manufacturing of _____ and I have been authorized to file the instant application for Industrial UPS Scheme with the Directorate of MSME, Haryana.

2. I have gone through all the conditions/criteria/clauses mentioned in the scheme namely, "Industrial UPS System Acquisition Scheme" and the same have been duly complied with.

3. The unit has not availed the benefits/subsidy under this scheme anytime, prior to the instant application.

4. The unit shall be liable to refund the entire subsidy/assistance excess subsidy/assistance, if released due to any kind of omission or discrepancies pointed-out by the Audit team of Principal Accountant General, Haryana at the time of verification/checking or otherwise at any stage.

5. I do hereby further affirm that the particulars given in the application are correct. In case any of the statement/information furnished in the application/ documents found to be wrong or incorrect misleading or violation of the eligibility criteria/conditions at any stage or after disbursement of amount, I do hereby undertake to refund the entire amount of assistance of INR_____ (Rupees _____) granted to at the compound rate of interest 12% per annum, besides facing legal action, in case facts contained in this application are proved to be wrong at the time of verification/checking or otherwise at any stage.

Dated

Signature of the Deponent
(With Seal/stamp)

Annexure-III

Certificate from Chartered Accountant (on CA letter head)

TO WHOM IT MAY CONCERN

The documents & record of M/s ……. with their Registered Office at ……..and factory located at…….., which is engaged in manufacturing of…… have been checked & verified in respect of the expenditure incurred for acquisition of Industrial UPS system. It is certified that the said industrial unit has incurred a total expenditure of Rs.…… (Rupees……) in accordance with the said scheme namely, "Industrial UPS System Acquisition Scheme" notified on……. as per the details of payments given below.

Details of expenditure and amount paid (in rupees) are certified as under:

Name of Industrial UPS	Name of Authorized Dealer/Manufacturer (OEM)	Purchase Cost	Date of Purchase	Make	Capacity

and

Verified from the books of accounts of above firm that the total investment in Plant & Machinery (original purchase value) of the company as on dated …… stands as Rs…… (Rupees……..) and total turnover of last financial year stands as Rs…….. (Rupees……) as per following details:

(i) Domestic Turnover = Rs……. (Rupees……..), as applicable.

(ii) Export Turnover = Rs …….. (Rupees……), as applicable.

Name & signature of the Chartered Accountant
With stamps & CA Membership Number

Dated……
UDIN No…….

Annexure-IV

No Objection Certificate (NOC) to be issued by the competent authority
(On letter-head)
TO WHOM IT MAY CONCERN

It is certified that M/s ……. is running a manufacturing unit …….. (Address of the unit) having an area of …….. sq. m./Yds. for manufacturing of ……. (Name of Products) and the said location falls in original/extended Municipal Limit of ……. (District/Block name). There is no dues pending against the said unit in respect of building tax/any other taxes./charges etc. as on …… .

The Municipal Corporation/Council/Committee…… (Name of the Authority) has no objection in running of the said industrial for manufacturing of ……. (Name of Products) at the said location.

Place:

Dated: (Sign & Stamp of Issuing Authority)

Annexure-V

Details of Plant and Machinery/Equipment of unit i.e. M/s_____

Sr. No.	**Name of Machinery/Equipment**	**Name of vendor/Supplier from which acquired**	**Date of Purchase**	**Original Purchase Value (INR)**
		Total		

Dated:

Signature of the Applicant
(With Seal/Stamp)

11652—C.S.—H.G.P., Pkl.